**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 36**

**05.12.2013 को उत्तर के लिए**

**'पर्यावरण और वन संसाधनों का प्रबंधन'**

36. श्री हुसैन दलवर्इ:

 क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसाधनों के अभाव में पर्यावरण और वन संसाधनों के प्रबंधन में बाधा आर्इ है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय का वार्षिक बजट सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और वार्षिक राष्ट्रीय बजट का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या पर्यावरण को बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के संपोषणीय प्रबंधन के लिए निवेश में पर्याप्त वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से किस प्रकार निबटने का विचार रखती है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) और (ख) जी, हां । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की योजनागत स्‍कीमों/पारियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 12वीं पंच वर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिए 47,586/- करोड़ रूपए की योजनागत निधियों के आवंटन का अनुरोध किया गया था जिसकी तुलना में वास्‍तविक आवंटन 17,874/- करोड़ रूपए है । मंत्रालय का वार्षिक बजट 2,430/- करोड़ रूपए (योजनागत) और 452.41 करोड़ रूपए (योजनेतर) था । ये दोनों राशि मिलकर वित्‍त वर्ष 2012-13 के लिए बाजार मूल्‍य पर जीडीपी का 0.0496% और राष्‍ट्रीय बजट का 0.1933% हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां । पर्यावरण, वन और वन्‍यजीव सेक्‍टरों में निवेश को निर्देशित करने वाली पहलों में शामिल हैं (i) स्‍वच्‍छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में नवीन परियोजनाओं को वित्‍त पोषित करने और जीवाश्‍म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए एक राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ ऊर्जा कोष सृजित करने हेतु 50/- रूपए प्रति टन कोयला की दर से उपकर लगाना; (ii) हरित भारत मिशन के वित्‍त पोषण के लिए वर्तमान कार्यक्रमों और योजनागत स्‍कीमों (जैसेकि महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, राष्‍ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और 13वें वित्‍त आयोग के अनुदान) के साथ अभिसारिता; (iii) स्‍वैच्छिक परियोजनाओं के वित्‍त पोषण में वित्‍तीय संस्‍थाओं / बैकों की भागीदारी में वृद्धि करना जिसमें लघु परियोजनाओं को इकट्ठा करना शामिल है जिससे कार्य सम्‍पादन की लागत कम हो सकती हैं और औसत परियोजना आकार बढ़ सकता है; (iv) संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन के लिए सार्वजनिक निवेश के निर्णय लेते समय पर्यावरणीय विशेषताओं को लागत-लाभ विश्‍लेषण में एकीकृत करना; (v) पर्यावरणीय संसाधनों के पुनरूद्धार के लिए स्‍वैच्छिक योगदानों और प्रस्‍तावित आर्थिक साधनों की निवल आय के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाना

तथा विषाक्‍त और खतरनाक अपशिष्‍ट से संदूषित स्‍थलों को स्‍वच्‍छ करना; (vi) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2010 के अंतर्गत नामोदिृष्‍ट उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्‍यूरो द्वारा कार्यान्वित की जा रही निष्‍पादन, उपलब्धि और व्‍यापार (पीएटी) योजना के तहत नवीन घरेलू बाजार तंत्र के विकास की संभावना तलाश करना; और (viii) भारत जैसे विकासशील देशों को उपलब्‍ध कराई जाने वाली अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सहायता में वृद्धि करना, जिसमें अंतर्राष्‍ट्रीय कार्बन बाजारों के जरिए मिलने वाली सहायता शामिल है, ताकि ये देश जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत उपशमन और अनुकूलन हेतु स्‍वैच्छिक कार्रवाईयॉं कर सकें ।

\*\*\*\*\*